न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/1527/2004/अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटकासिम

अपीलार्थी

बनाम

चन्दो पुत्र भगवाना जाति गूजर निवासी ग्राम डिंगली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः श्रीमति पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक
श्री पूर्णा शंकर दशोरा वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.22.4.2019

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 135/03 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद बाबत इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी चयनित परिवार का सदस्य है, क्रमांक 74 वर्ष 1997–98 पर अंकित है। वादी के स्वंय के पास दादालाई की कोई भूमि नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 4 बीघा वाके मौजा डिंगली पर सन् 1975 से शांतिपूर्वक खुल्लमखुला काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी एडवर्स पजेशन से खातेदार हो गया। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने चार तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 22.7.2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.12.03 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को भू आवंटन सलाहकार समिति कोटकासिम को इस

निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वादी भू आवंटन नियम, 1970 की अन्य पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो विवादित भूमि उसके पक्ष में नियमन किये जाने की कार्यवाही की जावे। इससे व्यथित होकर राज्य पक्ष अपीलार्थी प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी वादी का अतिक्रमण रहा है एवं वह नियमन का पात्र नहीं हैं धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही चली उसमें प्रत्यर्थी का नियमन योग्य मामला नहीं माना गया है। विवादित आराजी गैर मु0 रास्ता की भूमि है जिसका नियमन नहीं हो सकता। आबादी से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित है जिससे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार विवादित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी का लगातार नियमन योग्य कब्जा नहीं है तथा समय समय पर उसे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखल किया जाता रहा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति को प्रति प्रेषित किया है जो अनुचित होने से यह अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रत्यर्थी गरीब परिवार का सदस्य है जिसके भरण पोषण के लिए उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है। प्रत्यर्थी गरीब चयिनत परिवार का सदस्य है जिसका क्रमांक 74 वर्ष 1997–98 है। विवादित भूमि पर वर्ष 1975 से प्रत्यर्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार मौके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रत्यर्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन किये जाने का निवेदन किया। परन्तु नियमन की कार्यवाही नहीं की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन शर्तो की पात्रता की जांच कर नियमन की कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि वादी प्रत्यर्थी ने वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर उसका वर्ष 1975 से कब्जा काश्त है एवं एडवर्स पजेशन से वह खातेदार हो गया। विचारण न्यायालय ने वादी का लगातार कब्जा नहीं होने से एडवर्स पजेशन नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादी चयनित परिवार का गरीब व्यक्ति है तथा उसके पास कोई अन्य आराजी नहीं है जिससे

यदि वह आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखता हो तो नियमन की कार्यवाही की जाने का आदेश दिया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2038 प्रदर्श 4, सम्वत 2052 प्रदर्श 5, सम्वत 2053 प्रदर्श 6, सम्वत 2056 प्रदर्श 7 में विवादित भूमि पर चन्दा पुत्र भगवाना का अतिक्रमण होना दर्ज है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 9.3.98 प्रदर्श 3 के अनुसार भी राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि गैर मु0 रास्ता दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार गैर मु0 रास्ता भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादी प्रत्यर्थी का लगातार कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं होता है। प्रथम तो एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। द्वितीय वादी प्रत्यर्थी का लगातार 30 सालों से कब्जा काश्त होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति वादी को इस वाद में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

8. जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा नियमन हेतु प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, वाद की कार्यवाही में इस प्रकार नियमन का प्रकरण बनाकर वाद को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता। नियमन का मामला अलग प्रकार की कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वादी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद खारिज किया जाना ही न्यायोचित है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 17.12.03 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य